

करना चाहते हैं, तब वह एक अलग बात है। लेकिन, उसे वर्तमान खाड़ी स्थिति के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। इसलिए कृपया दोनों में भिन्नता बनाए रखिए। इस भिन्नता को बनाए रखते हुए उनके साथ भिन्न व्यवहार कीजिए। संयुक्त राज्य अमरीका और भारत एक-दूसरे की सहायता करने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, वह द्विपक्षीय है। लेकिन, यह पूर्णतः द्विपक्षीय नहीं है। जैसाकि मैंने कहा कि यह मामला समाप्त हो गया है और जैसाकि कहा भी गया है अन्त भला सो भला। लेकिन उड़ानों को दी गई अनुमति का प्रश्न हमेशा रहेगा और आपको उस पर कार्यवाही करनी होगी।

इन शब्दों के साथ मेरा यह कहना है कि स्थगन प्रस्ताव का महत्व समाप्त हो गया है। इस पर चर्चा करना मरे हुए घोड़े को चाबुक मारने के समान होगा। अतः यह बिल्कुल निरर्थक है और मैं इसका विरोध करता हूँ।

5.27 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रधानमंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है। यह मुद्दा पूरे देश से सम्बन्धित है। इस मुद्दे पर न केवल पूरा राष्ट्र बल्कि पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है।

मैं यह भी जानता हूँ कि हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने इस समस्या के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। मैं उठाए गए सभी मुद्दों के बारे में विस्तारपूर्वक नहीं बोलना चाहता। मैं पिछली बातों को भी नहीं दोहराना चाहता। मैं किसी और व्यक्ति अथवा सरकार पर भी आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हुआ, वह इस सरकार का दायित्व है। मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों को स्पष्ट करूंगा। अन्यथा, ऐसा प्रतीत होगा कि मैं कुछ छुपाना चाहता हूँ।

सबसे पहले, मैं श्री नरसिंह राव द्वारा दिए गए भाषण में उठाए गए मुद्दों के बारे में बोलूंगा। इस देश में संयुक्त राज्य अमरीका के विमानों को खुला गलियारा देने के बारे में इस सभा को मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब से यह सरकार सत्ता में आई है, किसी भी सरकार को खुला गलियारा नहीं दिया गया है। उस समय ऐसा क्यों किया गया, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। मैं पहले लिए गए निर्णयों के बारे में कुछ नहीं कह सकता।

मैं अपने मित्र श्री गुजराल को भी कुछ बताना चाहता हूँ। वह जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह परम्परा है कि प्रत्येक उड़ान को बीच में रुकना पड़ता है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि बीच में रुकने की सुविधा देने से सम्बन्धित देश को यह जांच करनी होती है कि उस विशेष विमान में क्या माल जा रहा है। श्री नरसिंह राव ने भी इसी मुद्दे पर बल दिया है। यदि आप खुला गलियारा दे देते हैं और बीच में उतरना अनिवार्य नहीं है, तब मेरे विचार से यह अच्छी स्थिति नहीं होगी। खुला गलियारा, अति प्रमुख व्यक्तियों राज्याध्यक्षों, शासनाध्यक्षों और अति महत्वपूर्ण सैन्य कामियों को दिया जाता है जिनके आने-जाने की पहले से सूचना दी जाती है। परम्परा यही है। मुझे कूटनीति की परम्पराओं और सूक्ष्मताओं के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन, पूरे विश्व में यही परम्परा

है और ऐसा न केवल संयुक्त राज्य अमरीका के साथ किया जा रहा है बल्कि, अन्य देशों से साथ भी किया जा रहा है। हम सभी देशों को यह सुविधाएं दे रहे हैं चाहे वह एक गुट का हो या दूसरे गुट का। इसका हमारी गुट-निरपेक्ष नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह देश इस परम्परा का बहुत समय से पालन कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जब भी किसी विमान को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देते हैं तो इसका यह एक स्थान पर उतरना अनिवार्य कर देते हैं, जिसे हम ट्रान्जिट लैंडिंग अथवा 'बीच में उतरना' कहते हैं। उन्हें ईंधन भरने की सुविधा देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि यदि कोई विमान उतरता है तो ईंधन की सुविधा दिया जाना अनिवार्य है और यह सुविधा सभी देश देते हैं। अभी हमारे विमान और वायु सेना के विमान लगभग 24 या 20 देशों के ऊपर से उड़ान भरते हैं और हमें यह सुविधा मिल रही है। हमारी कुछ देशों के साथ ऐसी द्विपक्षीय व्यवस्था है जिनके विमानों को हम बीच में उतरने को नहीं कहते, लेकिन अमरीका के साथ ऐसी बात नहीं है। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। अध्यक्ष यह सच है और सभी जानते हैं कि खाड़ी में युद्ध की सी स्थिति पैदा हो गयी थी। हम भी जानते थे कि स्थिति बदतर हो सकती थी और युद्ध की सम्भावना थी। इसीलिए जब हमने उन्हें यह सुविधा प्राप्त करने की अनुमति दी थी, तो उनसे यह गारण्टी ली थी कि विमान में कोई घातक हथियार नहीं ले जाया जाएगा। यह पहला मौका है जब भारत सरकार ने किसी से इस प्रकार की गारण्टी लेने पर जोर डाला था। मैं कोई बड़े दावे नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसा किया गया था और अमरीकी सरकार इस पर सहमत हुई थी।

दूसरा प्रश्न जो बहुत ही प्रासंगिक है। मैं श्री नरसिंह राव से सहमत हूँ कि यह व्यवस्था सामान्य और शांति काल के लिए थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो उस समय इसे रोक दिया जाना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह सकता हूँ कि हम अपने निर्धारित नीतियों, परम्पराओं और प्रथाओं, जिनका विगत 40 वर्षों से अनुसरण किया जा रहा है, उससे थोड़ा भी नहीं हटते हैं। मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि हमारे गुट-निरपेक्षता पर कोई खतरा है और न ही किसी भी पक्ष से ऐसी शंका अथवा शिकायत की गयी है कि हमारा झुकाव किसी एक पक्ष अथवा दूसरे पक्ष की ओर हो गया है। इसे हमारी गुट-निरपेक्षता की नीतियों से कोई लेना-देना नहीं है। मेरा यह कहना है कि भारत सरकार की गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्त के प्रति आज भी उतनी ही निष्ठा है, जितनी पहले कभी थी। हाँ, राष्ट्रहित में इसमें थोड़ा लचीलापन आता रहा है और वह भी शुरू से ही मेरे मित्र, श्री जसवंत सिंह ने 1962 और 1971 में क्या हुआ, इस सम्बन्ध में बताया। यह युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी हैं। वे इन्हें इन युद्धों के बारे में अधिक जानकारी है। मैं नहीं जानता। इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। श्री दिनेश सिंह का उन दिनों शासन तन्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उन्हें इसकी जानकारी होगी। इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि उन दिनों विमान उड़ाने, ईंधन की सुविधा प्राप्त करने अन्य कार्यों को करने की नीतियों में किसी प्रकार का सामन्तस्य नहीं था। लेकिन किसी सरकार के साथ उन दिनों हमारा कोई समझौता नहीं था। यह भारत परम्परा थी, जिसका निर्वहन किया जाता था और किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने देश में यह विचार उभरते देखा कि ईंधन की सुविधा नहीं देनी चाहिए, तत्काल मैंने विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई। मैंने उनसे कहा, "यदि आप चाहें। मैं आज ही यह सुविधा देना बन्द करने के लिए कह सकता हूँ।" लेकिन फिर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को देखते हुए ऐसा नहीं किया गया। मेरे मित्र श्री आई० के० गुजराल, श्री नरसिंह राव और श्री दिनेश सिंह यह जानते हैं। ऐसा एकदम से नहीं कहा जा सकता कि "मैं आपको अनुमति देता हूँ", "मैं आपको

अनुमति नहीं देता हूँ”, क्योंकि इससे हमारा राष्ट्रीय हित जुड़ा है। हम एक ही बात कह सकते हैं कि “परिस्थिति ऐसी है कि यदि आप इस सुविधा का उपयोग न करें, तो बेहतर होगा।” ज्यों ही मैं उस विचार से, जिसे सभा के सभी दलों ने नहीं बल्कि महत्वपूर्ण दलों ने व्यक्त किया था, अवगत हुआ, मैंने तुरन्त अमरीकी सरकार को यह सूचित किया कि वे इसे बन्द कर दें। इसमें थोड़ा समय लगता है। यदि मेरी गलती है तो आप मुझ पर आरोप लगा सकते हैं। लेकिन मेरे कुछ मित्रों ने मुझ पर उंगली उठाई है। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख हुआ, जब श्री गुजराल ने यह कहा कि यह निर्णय सरकार द्वारा लिया गया अथवा किसी अतिरिक्त संबैधानिक प्राधिकारियों के निर्देश पर ऐसा किया गया है। मैं और श्री गुजराल लम्बे समय से मित्र रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि श्री गुजराल किसी समय कभी संबैधानिक प्राधिकारियों के परे से निर्देश प्राप्त करते होंगे। अपने जीवन में मैंने कभी भी संबैधानिक प्राधिकार से बाहर किसी निर्देश नहीं लिया है। मैं अपना व्यक्तिगत बात इस सभा में नहीं करना चाहता... (व्यवधान) ...। यदि श्री आई० के० गुजराल में ऐसी बात नहीं कही होती, तो मैं अपना व्यक्तिगत बात नहीं कहता। मैं किसी भी टिप्पणी को नजर-अंदाज कर देता, परन्तु श्री आई० के० गुजराल की टिप्पणी को नजर-अंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उन्हें लम्बे समय से जानता हूँ और उनके लिए और मेरे मन में बड़ा सम्मान है और वह भी मुझे लम्बे समय से जानते हैं। हो सकता है कि मुझ में कुछ कमी हों, शायद उतना विवेकी न होऊँ या उनके समान विदेश नीति की समझ-बूझ मुझे न हो, लेकिन एक चीज जिसका मुझ में कमी नहीं है, वह है साहस और इसीलिए जब किसी ने यह पूछा कि क्या हमने यह सुविधा दी है, मैंने कहा, हाँ। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मुद्दा यहीं समाप्त करता हूँ।

मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा जो दूसरा अति महत्वपूर्ण मसला उठाया गया है, वह यह है कि क्या भारत सरकार गोर्बाचोब के फामूले के बारे में कुछ कर रही है अथवा निष्क्रिय है। श्री गुजराल ने भी कहा था कि—वह बहुत ही सजग थे और हल निष्क्रिय थे। लेकिन मैं यह नहीं जानता। विगत एक माह में हमने इस मुद्दे पर गोर्बाचोब से पांच बार विचार-विमर्श किया। आज भी हम लगातार उनसे सम्पर्क किए हुए हैं। इसका तात्पर्य उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि सोवियत संघ की सरकार से। संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्थाई प्रतिनिधि ने कल या परसों से ही सुरक्षा परिषद के सदस्यों तथा गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य देशों से यह सुनिश्चित करने के लिए सम्पर्क करना शुरू कर दिया है कि सुरक्षा परिषद के प्राधिकार पुनः दिलाया जा सके तथा शांति प्रस्ताव कतिपय लोगों के वास्ते को न छोड़ दिया जाए। हमने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम सोवियत संघ के राष्ट्रपति के प्रस्ताव से सहमत हैं। इतना ही नहीं, हमने सभी उपाय और पहल किए हैं जिनका मैं विस्तार से उल्लेख नहीं करना चाहता। विगत एक महीनों के दौरान उन सभी महत्वपूर्ण देशों के दूतों ने जो सहामुही के समर्थक हैं। दिल्ली का दौरा किया और हमसे विचार-विमर्श किया था। उनमें से किसी ने भी उतना प्रयास नहीं किया जितना हमारे मित्र श्री गुजराल ने किया है।

एक माननीय सदस्य : आप खामोशी से भी मिले थे।

श्री चन्द्र शेखर : जी हाँ, खाशोगी से भी। वह आपकी नजरों में कूटनीतिज्ञ होंगे। मेरी दृष्टि में नहीं। कई खाशोगियों से मिलता हूँ। लेकिन मैं खाशोगियों की बात नहीं कर रहा, मैं अराफात की अल्जिरियाई राष्ट्रपति को और चीन के प्रधान मन्त्री की तथा ईरान के राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ और मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो इस मामले से जुड़े हैं और जिनका इस समस्या में महत्व है।

अध्यक्ष महोदय सभी का यह कहना है कि हम सद्दाम हुसैन के विरोधी हो गए हैं और हमने उनसे अपना सम्बन्ध खराब कर लिया है। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि फिलिस्तीन की समस्या के प्रति हमारा दृष्टिकोण अब भी वही है। हमने सभी को कह दिया है कि फिलिस्तीनी समस्या पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। हमने यह भी कहा है कि इराक के साथ हमारी मित्रता अब भी यथावत है। अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जब मिस्र में इराकी दूतावास को बन्द कर दिया गया था तो इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इराक के हितों की रक्षा करने के लिए भारत के अलावा किसी और देश को नहीं चुना था। यही स्थिति है। लेकिन यदि लोग यह समझते हैं कि वक्तव्य देना या भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करना या किसी की ओर उंगली उठाना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भाग है तो मैं यह नहीं जानता।

एक माननीय सदस्य : श्री राजीव गांधी के बारे में क्या विचार है ?

श्री चन्द्र शेखर : मैं नहीं जानता कि श्री राजीव गांधी से आपका क्या तात्पर्य है। श्री राजीव गांधी इस समस्या का समाधान खोजने में सहायता दे रहे थे और मैं लगातार उनसे बातचीत कर रहा था और उनके सम्पर्क में था। आज भी, जबकि सरकार इस समस्या के समाधान के प्रयास में जुटी है, मैं अपने स्थाई प्रतिनिधि से बातचीत कर रहा था तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री से बात कर रहा था, जो तेहरान और बगदाद जा रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए श्री नरसिंह राव और अन्य व्यक्तियों के साथ श्री राजीव गांधी मास्को जा रहे हैं और रास्ते में वह तेहरान रुकेंगे। केवल राजीव गांधी ही नहीं, बल्कि मेरा श्री गुजराल से भी अनुरोध है कि वह भी प्रयास करें, क्योंकि उनके सद्दाम हुसैन और अन्य लोगों के साथ अच्छे सम्बन्ध प्रतीत होते हैं। मैं उनका सहयोग लेने के लिए तैयार हूँ। यदि कोई उस क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने के प्रयास करता है तो यह प्रशंसनीय है। जब मैंने कहा कि मैं इस मुद्दे पर देश का विभाजन करना नहीं चाहता तो मेरा वास्तव में यही तात्पर्य था। हमारे सामने अनेक समस्याएँ हैं... (व्यवधान)

महोदय, यदि वे मेरी बात नहीं समझ सकते तो मैं इसमें सहायता नहीं कर सकता क्योंकि मैं तर्क दे सकता हूँ, तथ्य प्रस्तुत कर सकता हूँ परन्तु बात समझने के लिए मैं दिमाग नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, नरसिंह राव ने एक प्रश्न पूछा है। ऐसा ही प्रश्न दूसरी भाषा में मेरे सहयोगी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने पूछा था। नीतिगत प्रश्नों के बारे में मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि गुटनिरपेक्ष नीति अब भी संगत है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ताकत, चाहे अमेरिका को हो अथवा दूसरी, किसी विशेष क्षेत्र में शांति बहाल करने की जिम्मेदारी लें। यदि किसी क्षेत्र में ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी तो इसका हम पर भी प्रभाव पड़ेगा। हम अपने हितों के प्रति जागरूक हैं। श्री जित्त बसु ने कहा है कि हमें अमेरिका की निन्दा करनी चाहिए। मेरी निन्दा करने की राजनीति नहीं है। उन्हीं की सरकार ऐसा कार्य करती है। मैं लोगों की निन्दा नहीं करता हूँ। मैं कुछ विशेष लोगों और राष्ट्रों के कार्यों की निन्दा करता हूँ। यदि उन्होंने समाचार पत्र पढ़े होंगे तो उन्हें यह मालूम होगा। जिस दिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने यह कहा था कि वह कभी भी आणविक हथियारों का प्रयोग कर सकेंगे तो मैंने कहा था कि यह मानवता के प्रति अपराध है। मैंने कहा था कि आणविक हथियारों के प्रयोग तथा रासायनिक युद्ध की बात करना मानवता के प्रति अपराध है। अध्यक्ष महोदय हम इसका

विरोध करते हैं। परन्तु स्थिति से निपटने के कुछ तरीके हैं। कुछ लोग समझते हैं कि उन्हें कुछ लोगों के विरुद्ध साहस के साथ अपने विचार व्यक्त करने चाहिए और कुछ लोगों में आत्म-निन्दा और आत्म-ग्लानि की प्रवृत्ति होती है। वे कहते हैं कि भारत कुछ नहीं कर सका है और भारत को पीछे धकेल दिया गया है। फ्रांस, चीन इरान और सोवियत संघ का क्या हो गया है?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : श्री राजीव गांधी ने भी ऐसा ही कहा है। (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : यदि श्री राजीव गांधी ने ऐसा कहा है तो वह भी कुछ कर रहे हैं... (व्यवधान) परन्तु कुछ लोग इन सब बातों को तो कह रहे हैं लेकिन वे कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। इतना अन्तर है। यदि आप कुछ करते हैं तो आप कुछ कह सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरे सहयोगी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह मालूम करना चाहा है कि सरकार को सोवियत प्रस्ताव के बारे में कोई जानकारी है अथवा नहीं। हमें इसकी कुछ जानकारी है। परन्तु इसकी कुछ सीमाएं हैं। यदि सम्बन्धित सरकार कहती है कि यह गोपनीय बात है तो दूसरे देश के प्रधानमन्त्री को, चाहे वह कितना ही महत्वहीन क्यों न हो, समाचार पत्रों को बताने की स्वतन्त्रता नहीं है। यह सीमा है। परन्तु सोवियत रूस ने आज हास के माध्यम से इसको अपने आप उजागर कर दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : आज नहीं इसे कल उजागर किया था।

श्री चन्द्र शेखर : कल ? उनके प्रस्तावों का विवरण मेरे पास है। मैं अभी उन बातों को पढ़ता हूं। (1) इराक बिना किसी शर्त के कुवैत से अपनी सेनाओं की वापसी की घोषणा करती है। (2) युद्ध विराम होने के बाद दूसरे दिन सेनाओं की वापसी शुरू होती है। (3) सेनाओं की वापसी एक निश्चित समयावधि में होगी। (4) कुवैत से दो-तिहाई इराकी सेनाओं की वापसी के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा इराक पर लगाए आधिक प्रतिबन्ध हटा लिए जायेंगे (5) कुवैत से इराकी सेनाओं की वापसी के अन्त में वे सभी कारण दूर हो जायेंगे जिनकी वजह से संकल्प लगाए गए थे इस प्रकार ये संकल्प निष्प्रभावी हो जायेंगे (6) युद्ध समाप्त होने के तुरन्त बाद युद्ध बन्दियों को छोड़ दिया जाएगा (7) सेनाओं की वापसी की निगरानी उन देशों के द्वारा की जाएगी जो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में सम्मिलित नहीं हैं यह कार्य सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाएगा (8) विशेष विवरण सम्बन्धी कार्य जारी रहेगा। इस कार्य का अन्तिम निर्णय संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सदस्यों को आज बता दिया जाएगा। यही बताया गया है।

अध्यक्ष महोदय, यह संयोग की बात हो सकती है। मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाहता। इन आठ बातों में से चार बातें शुरू में संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रतिनिधि द्वारा आमराय के लिए सुरक्षा परिषद में उठायी गयी थी। यह सरकार के लिए संयोग की बात है अथवा इसका सौभाग्य है... (व्यवधान)

डा० बिप्लव दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : निश्चित रूप से सौभाग्य है।

श्री चन्द्र शेखर : इस प्रकार आप भी यही कर रहे हैं। यदि आप हमारी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं तो हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। मुझे बताया गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को इस पर कुछ आपत्ति है। मुझे बताया गया है कि एक स्थिति में उन्होंने कहा है कि वे अपने सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श करके निर्णय करेंगे परन्तु निचले स्तर पर किसने बताया है कि वे सोवियत संघ के इस फार्मूले अथवा प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे। यह बड़ी भूल होगी। मैं इस सभा की ओर से अपील करना चाहता हूं कि श्री जार्ज बुश को इस क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने के लिए इस अवसर का

लाभ उठाना चाहिए। इससे कोई निष्कर्ष निकालने के लिए सार्थक बातचीत की शुष्कता होती है। मुझे उनकी आपत्तियों के बारे में सूचना मिली है परन्तु मैं नहीं सोचता कि अमेरिका के राष्ट्रपति की आपत्तियों के बारे में बात करना दूरदर्शिता होगी। मुझे आशा है और विश्वास है कि वह अपने सहयोगियों से विचार-विमर्श कर कोई निष्कर्ष निकालेंगे क्योंकि युद्ध में किसी की विजय नहीं होती है। युद्ध में केवल मानवता की पराजय होती है। जनता की परेशानी और कष्ट के कारण हमें इसके बारे में सोचना पड़ता है। हम इसके प्रति बड़े चिंतित हैं। श्री फेलोरो ने बताया है कि हम विशेष रूप से इसलिए चिंतित हैं क्योंकि इसमें हमारे नागरिक सम्मिलित हैं। आज भी 5,000 से अधिक हमारे नागरिक कुवैत में हैं इसलिए हमें इसके बारे में चिन्ता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने अन्तिम समय तक कुवैत से आने के लिए मना कर दिया था। मैं इसका विस्तार से उल्लेख नहीं करना चाहता कि समय सीमा स्थापित करने तथा कुछ अन्य उपाय करने के बारे में हमने क्या पहल की है। हमने बार-बार प्रयास किया है परन्तु कुछ लोगों के हठी दृष्टिकोण के कारण केवल भारत की ही आवाज नहीं सुनी बल्कि सोवियत संघ, चीन, इरान श्री यासर अराफात जैसे मित्रवत व्यक्तियों तथा फ्रांस की आवाज से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला मुझे विश्वास है कि अब वातावरण बदल गया है और मैं इस बात से सहमत हूँ कि भारत को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है क्योंकि हम अरब विश्व की घटनाओं से जुड़े हुए हैं। हमारे सम्बन्ध बहुत पुराने हैं। मैं इतिहास का उल्लेख करना नहीं चाहता अन्यथा मैं श्री जसवंत सिंह और श्री गुजराल द्वारा पैदा किए गए विवाद में फंस जाऊंगा। मैं इतिहास का उतना अच्छा शिष्य तो नहीं हूँ परन्तु इतिहास इस बात का साक्षी है कि अरब देशों के साथ विशेष रूप से इराक के साथ हमारे सम्बन्ध सौहार्द्रपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण रहे हैं। हम कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि इराक का विभाजन हो। हम चाहते हैं कि उसकी राजनैतिक एकता तथा अखंडता बच सके। मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त यह जानना चाहते थे कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प के पक्ष में हैं अथवा नहीं। यदि हमें संयुक्त राष्ट्र सच में रहना है तब हमें इस संकल्प का पालन करना होगा परन्तु प्रश्न उनके व्याख्या करने का है यह देखने का है कि उनकी परिधि कहां तक जाती है, तथा यह देखना है कि इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई करने के लिए हम इसे किस प्रकार से देख सकते हैं। यह संवेदनशील मामला है। मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे उस प्रधानमंत्री को कुछ छूट दे जो कभी भी सरकार में नहीं रहा है तथा जिसे अन्तराष्ट्रीय मामलों की कभी कोई जानकारी नहीं रही। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व में हो रही घटनाओं तथा अन्तराष्ट्रीय मामलों के बारे में अन्य सभी सदस्यों को अधिक जानकारी है। परन्तु मुझे अपने राजदूत, विदेश मन्त्रालय तथा कभी-कभी आप सब द्वारा जारी किए गए विलक्षण वक्तव्यों से जो भी जानकारी मिलती है, मैंने उन सभी पर गौर करने की तथा आप सब की अपेक्षाओं के अनुकूल कार्य करने की कोशिश की है। यदि इस मामले में कहीं कुछ गलती हुई है तब भी आप इस मसले पर देश में मतभेद पैदा क्यों कर रहे हैं? क्या दूसरी समस्याएँ नहीं हैं? अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्ञात हुआ है कि दूसरी सभा में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया है। अतः मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम सभी को इस समस्या के बारे में विश्व शांति, मानव अधिकारों विशेष रूप से विश्व के निर्धन राष्ट्रों, विकासशील विश्व के दलित तथा शोषित देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस समस्या के बारे में एकजुट होकर रहना चाहिए क्योंकि उन्हें हमसे काफी अपेक्षाएँ तथा आशाएँ हैं।

श्री ए० के० राय : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से देश का पहले ही उत्साह भंग हो चुका है तथा प्रधानमंत्री के वक्तव्य से ससद का उत्साह भंग होगा। (व्यवधान)

महोदय, प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए तर्क से कोई भी आश्वस्त नहीं होगा क्योंकि इससे सभा में

उठाए गए मुद्दों में से एक भी स्पष्ट नहीं होता है। वह सदस्यों को और अधिक उलझा रहे हैं (व्यवधान) तथा यह अपेक्षा कर रहे हैं एक भी ऐसा सदस्य नहीं होना चाहिए जिसके इस मुद्दे के सम्बन्ध में स्पष्ट विचार हों।

इस सम्बन्ध में दो बुनियादी बातें हैं। यह कोई साधारण तकनीकी प्रश्न नहीं है। दो बुनियादी प्रश्न उठाए गए हैं जिनके सम्बन्ध में भारत जैसे देश को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए तथा वह भी पूर्ण विश्वास के साथ। पहला प्रश्न यह है कि क्या अमरीका को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्षक की भूमिका अदा करने देना चाहिए तथा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या अटलांटिक के इस ओर भी मोनरो सिद्धांत लागू होना चाहिए। ये दो बुनियादी बातें हैं। तीसरे, ईंधन-सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी प्रश्न के बारे में उनका स्पष्टीकरण इसके विरुद्ध दिए गए सभी तर्कों को समान कर देगा। ऐसा कहा गया है कि ईंधन सुविधा अभी भी दी जा रही है। इसका कारण यह बताया गया कि शांति-काल के दौरान ऐसा इससे पहले भी किया जाता रहा है। प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या युद्ध के समय में भी यह ईंधन-सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया था। इस सरकार ने इस ईंधन-सुविधा को बन्द करने का साहस नहीं दिखाया परन्तु अमरीकी सरकार से इसे अवश्य बन्द करने का आग्रह अवश्य किया था। अरब देशों का एक भारी समर्थक होने के कारण तथा विश्वभर में सबसे बड़ी लोकतन्त्र व्यवस्था वाले इस देश की सरकार को इस रवये के कारण विदेशों में भारत की छवि को काफी धक्का पहुंचेगा।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र ने जो कहा था, उसके ऊपर भी कुछ टिप्पणी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि सद्दाम हुसैन का समर्थन न करने के कुछ विशेष कारण थे। केवल कुछ ही दिन पूर्व पाकिस्तान रेडियो द्वारा प्रसारित पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री का मैं भाषण सुन रहा था। वह अमरीका को उनकी सरकार द्वारा दिए गए अपने समर्थन को उचित बता रहे थे तथा उन्होंने यह भी कहा था कि कश्मीर तथा बाबरी मस्जिद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सद्दाम हुसैन ने भारत का पक्ष लिया था। अतः वह पाकिस्तान के पक्ष में नहीं हो सकते।

हम इस समय एक विशिष्ट स्थिति ही देख रहे हैं जबकि हिन्दू तथा मुस्लिम सम्प्रदाय के कट्टरपंथी एक समान बातें कर रहे हैं तथा अरब देशों के खिलाफ एक घोर जघन्य अपराध की सहमति दे रहे हैं, इस प्रकार से वे कार्य कर रहे हैं। यह काफी विशिष्ट बात है। वे एक जैसी विचारधारा वाले हैं। सऊदी अरब तथा पाकिस्तान ने ही साम्प्रदायिकता की राजनीति को फैलाया था। भारत में यही वह सम्माननीय दल है जो देश के अन्दर ही साम्प्रदायिकता की राजनीति फैला रहा है।

इस समय वे सभी एक हैं। वे सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। प्रश्न यही है। कई सदस्यों ने यही प्रश्न उठाया है कि कुवैत पर बमबारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 678 के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत ही की गई थी। इसी प्रकार से कई सदस्यों ने यह प्रश्न भी उठाया है कि ईंधन-सुविधा प्रदान किए जाने के प्रश्न के अलावा अन्य कुछ और कही गई बातें क्या स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत ही आती हैं। मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से यह स्थगन-प्रस्ताव के अन्तर्गत ही है। ईंधन-सुविधा के मुद्दे के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि "बाड़ी-युद्ध के सम्बन्ध में दीर्घकालिक राष्ट्रीय विदेश नीति के अनुरूप समुचित पहल।" अतः स्थगन-प्रस्ताव के अनुसार हमें इस मामले को एक अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए।

यह सत्य है कि प्रधानमन्त्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के उस संकल्प विशेष के सम्बन्ध में कुछ

कहा है। परन्तु आरम्भ में ही मैंने जिस बात पर जोर दिया था मैं उसे ही यहां पर पुनः कहना चाहूंगा कि कुवैत के ऊपर इराक का कब्जा होना इतिहास का ही एक भाग है। वर्ष 1961 में जिस समय कुवैत बना था उस समय भी इराक ने आपत्ति उठाई थी क्योंकि यह बसरा जिले का ही एक हिस्सा था तथा उसकी भी वही संस्कृति थी। वर्ष 1920 में ऑटोमन शासक के पश्चात् साम्राज्यवादियों ने अरब देशों को सन्तुलित करने, उन्हें विभाजित करने तथा कुवैत जैसे तेल समृद्ध देश पर नियन्त्रण करने का प्रयत्न किया था ताकि उनके तेल के भण्डार में वृद्धि हो सके तथा जो सौ वर्ष से भी अधिक समय तक वे भरे रहेंगे। जबकि अमरीका के पास तेल का अपना भण्डार केवल दस वर्ष तक के लिए ही है, यदि वह केवल अपने तेल का ही इस्तेमाल करता है। आज इन सभी तेल के भण्डारों पर अपना अधिपत्य कायम करने के लिए ही उन्होंने कई छोटे-छोटे राज्य बना दिए हैं जहां पर सुल्तान, अमीर, शेख तथा शाह शासन कर रहे हैं। परन्तु उससे यह अभिप्राय नहीं निकलता कि उन राज्यों पर इस प्रकार से कब्जा कर लिया जाए। परन्तु यह मामला अरब देशों का है, उनका यह आंतरिक मामला है जिसे स्वयं ही सुलझा लिया जाना चाहिए। परन्तु अटलांटिक के उस पार सभी प्रकार के अत्याधुनिक हथियारों सहित आक्रमण करना इन हथियारों की क्षमता की जांच करने का महज एक बहाना मात्र है। इस प्रकार से वहां पर अभी भी बमबारी जारी है। वे सभी प्रकार के मनोरंजन हेतु फोटोग्राफ भी ले रहे हैं। यह एक बेतुका हमला है तथा इसकी हर प्रकार से निन्दा की जानी चाहिए। क्या हम यह स्वीकार कर लें कि अमरीका सम्पूर्ण विश्व की रक्षा का भार अपने ऊपर ले ले तथा अरब देशों पर आक्रमण करे? इस प्रकार की भावना वहां नहीं होनी चाहिए। परन्तु यहां पर प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में ऐसा कुछ भी नहीं है।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन कोई निरुद्देश्यीय मंच नहीं है, इसका अपना उद्देश्य है। इसका अपना राजनैतिक उद्देश्य है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन हमेशा से ही साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करता रहा है। कुछ व्यक्तियों ने अमरीका तथा सोवियत संघ के साथ एक जैसे सम्बन्ध कायम करने का प्रयत्न किया है। क्या ऐसी नीति होनी चाहिए? हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान अमरीका ने हमारा समर्थन नहीं किया बल्कि रूस ने हमारा पक्ष लिया। (व्यवधान) आज भी कश्मीर तथा पंजाब के अलगाववादी तत्व सोवियत संघ में नहीं बल्कि अमरीका में शरण ले रहे हैं। एक उग्रवादी नेता श्रीमान ने अमरीका की ओर से लड़ने के लिए अपने खालिस्तानी कमांडो भेजने का प्रस्ताव भी अमरीका को किया था। इसलिए, अमरीका ने भी चाहे भारत हो अथवा अरब देश हों, वहां पर सभी प्रकार के विद्रोही तत्वों को भेजा है। मुस्लिम कट्टरपंथी अरब देशों का दमन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। (व्यवधान) हमें उनकी राजनीति को समझना चाहिए तथा उनकी राजनीति को ध्यान में रखना चाहिए। जो देश इराक के खिलाफ लड़ रहे हैं वे मूलतः भारत के शत्रु हैं।

6.00 म० प०

इसलिए, यहां तक की तटस्थता को परे रखते हुए, भारत की सहानुभूति—तटस्थता एक लचीला विषय है, जिसे यहां तक की साम्राज्यवादी देशों के पक्ष में मोड़ा जा सकता है, जैसाकि इसे आज मोड़ दिया गया है—कि हमेशा शोषित और कष्ट सह रहे व्यक्तियों के पक्ष में मोड़ देना चाहिए। अतः हमारी तटस्थता और गुट-निरपेक्षता को इस प्रकार मोड़ा जाना चाहिए कि यह सकारात्मक गुट-निरपेक्षता के हित में हो और बगदाद के दुःखी व्यक्तियों के हित में हो न कि अमरीका की साम्राज्यवादी नीति के हित में।

यह सच है कि श्री गौरबाचौब ने एक प्रस्ताव रखा है। यह अन्तिम नहीं है। भारत श्री गौरबाचौब से एक कदम और आगे जा सकता है। किन्तु भारत का प्रस्ताव शान्ति का होना चाहिए। यहां हमें ऐसा प्रस्ताव रखना चाहिए कि पहले तुरन्त युद्ध-विराम होना चाहिए। दूसरे, अमरीका और बहु-राष्ट्रीय फौजें हट जाएं।

तीसरी बात यह है कि इराक तुरन्त कुबैत को छोड़ना आरम्भ कर दे। इसके साथ ही, इजराइल अरब भूमि को छोड़ना आरम्भ कर दे और, चौथे, श्री गौरबाचौब की मदद से सम्पूर्ण अरब क्षेत्र के बारे में भविष्य में अपनाई जाने वाली नीति पर विचार करें। हमारा यही दृष्टिकोण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इराक को पीछे हट जाना चाहिए और अमरीकी फौज अपनी साम्राज्यवादी नीति को तृतीय विश्व पर थोप दे और उसमें अपनी जड़ें फैलाए।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि खाड़ी युद्ध ने प्रत्येक देश में लोगों और सरकारों के मध्य एक खाई उत्पन्न कर दी है और भारत में भी यह बहुत स्वाभाविक है कि इससे लोगों और सरकार के मध्य खाई बढेगी। यह बहुत आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा लगता है कि खाड़ी में हो रहे अपराधों को सहन करना दिन-प्रतिदिन की जिन्दगी का एक हिस्सा बन गया है। वे दिन बीत चुके हैं जब वरिष्ठ राजनेता देश पर शासन करते थे, अब कुछ वरीयता प्राप्त लोग देश पर शासन करते हैं। कह सकते हैं कि प्राचीन भारत सूर्य के तेज वाले महापुरुषों और आकाश—गंगा की भांति देदीप्यमान महान नेताओं की भूमि था और हम यह भी कह सकते हैं कि अब यहां पर उपग्रहों की भांति चक्कर लगाने वाले कुछ नेताओं का शासन है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि सभा अब स्थगित हो।”

जो इसके पक्ष में है वे कृपया ‘हां’ कहें।

अनेक माननीय सदस्य : ‘हां’।

अध्यक्ष महोदय : जो इसके विपक्ष में हैं वे कृपया ‘नहीं’ कहें।

अनेक माननीय सदस्य : ‘नहीं’।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में निर्णय “नहीं” वालों के पक्ष में हुआ। निर्णय “नहीं” वालों के पक्ष में हुआ।

अनेक माननीय सदस्य : निर्णय “हां” वालों के पक्ष में हुआ।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जाएं—

अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है :

“कि सभा अब स्थगित हो।”

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ* ;